

An-4

श्री श्यामसुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रतिविहार-नई दिल्ली।

शिक्षा § 78 अनुभाग लखनऊ दिनांक 20, अगस्त-2000

विषय:- लाला शम्भूदास डी. ए. पी. पब्लिक स्कूल गिलखवा, गाजियाबाद 20090 को सी. पी. एत. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति-प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र कलने का निर्देश हुआ है कि लाला शम्भूदास डी. ए. पी. पब्लिक स्कूल गिलखवा, गाजियाबाद 20090 को सी. पी. एत. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति-प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- § 18 विद्यालय की पंजीकृत सौगाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- § 28 विद्यालय को प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, द्वारा नामित सदस्य होगा।
- § 38 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे। और उनमें 30 प्रतिशत शिक्षा परिषद, द्वारा नामित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं लिए निर्धारित गुल्क से अधिक गुल्क नहीं लिया जायेगा।
- § 42 संस्था द्वारा राज सरकार से कितनी अनुदान का मांग नहीं जायेगा। और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा क्षेत्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस पराजक वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों को सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से 30 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा परिषद, द्वारा प्रस्तुत मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- § 58 संस्था के शिक्षक एवं निदेशक/कार्यवाहियों को राजकीय सरकारी प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्यवाहियों को अनुभव के अनुसार अनुभव अर्हकों से आनेवाला तथा अन्य बातों पर

Mohit

- § 69 कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जाएंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुभव सेवा निर्धारित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- § 70 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका संस्था पालन करेगी।
- § 80 विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रथम / वीकेंडों में रखा जायेगा।
- § 91 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संतोषन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

§ 21

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी वजह से यह नहीं पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का यूक या दिक्कत आ रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

भवदीय,

§ प्रामाणन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,

गुण-1458 § 11 / 15-7-2000 तददिनांक-

इतिमिति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- विद्या निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 2- अध्यक्षीय संयुक्त विद्या निदेशक गैर-राज्य।
- 3- विद्या विभाग निदेशक, मा विद्यालय।
- 4- सचिव निदेशक, अंगण भारतीय विद्यालय, 3090 मन्नाड।
- 5- प्रबंधक, माता सं-सूचना डी. ए. ए. पब्लिक स्कूल, विमलपुरा-गा विद्यालय।
- 6- माता सं-सूचना।

आपत से,
[Signature]

§ प्रामाणन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,